राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारी समिति की अष्ठम् बैठक का कार्यवृत्त

दिनांकः 19 मार्च, 2024
स्थानः प्रमुख सचिव महोदय का बापू स्थित सभा कक्ष, लखनऊ।
समयः सायं 03:00 बजे।

प्रमुख सचिव, पंचायती राज, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अन्तर्गत शासनादेश संख्या–4183/33–3–2018–15 सी.एम./2013 टी.सी. दिनांक 12 अक्तूबर, 2022 के अन्तर्गत गठित राज्य कार्यकारी समिति की अष्ठम् बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निम्नलिखित समिति सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

क्र0 सं0	नाम सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	पदनाम	विभाग
1	**अनिल कुमार**	**प्रमुख सचिव**	पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2	राजेश कुमार त्यागी	विशेष सचिव/निदेशक	पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3	डा. अमनदीप	विशेष सचिव	ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।
4	सन्त कुमार	संयुक्त आयुक्त	मनरेगा, ग्राम्य विकास विभाग।
5	डा. साधना राठौर	निदेशक	पी.एस.सी., डी.जी.एम.एच., स्वास्थ्य विभाग।
6	जय प्रकाश पाण्डेय	संयुक्त सचिव	पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
7	अमितोष श्रीवास्तव	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी	पंचायती राज विभग, उ0प्र0।
8	बी.डी. चौधरी	अपर निदेशक(प्र0)	राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ।
9	प्रवीण कुमार	अधीक्षण अभियंता	जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0।
10	अभय कुमार शाही	उपनिदेशक(पं0)	पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।
11	महावीर प्रसाद बघेल	अनुसचिव	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0।
12	हरि ओम शुक्ल	शोध अधिकारी	नियोजन विभाग, उ0प्र0।
13	अंजनी कुमार	जिला समाज कल्याण अधिकारी,	समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 ।
14	सुभाष राम	अनुसचिव	समाज कल्याण, उ0प्र0। ।
15	सुचेता शुक्ला	स्टेट हेड	सी–3।
16	सना	राज्य सलाहकार	यूनीसेफ।
17	अशोक कुमार राम	अनुसचिव	पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
18	शैलेश कुमार सिंह	अनुभाग अधिकारी	पंचायती राज विभाग, अनुभाग – 3।
19	गोपाल सिंह	समीक्षा अधिकारी,	पंचायती राज विभाग, अनुभाग – 3।

सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा बिन्दुवार निम्नलिखित निर्णय लिए गएः–

एजेण्डा बिन्दु	मा0 समिति द्वारा लिए गए निर्णय
एजेण्डा बिन्दु–1: राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना का संक्षिप्त परिचय एवं प्रमुख उपलब्धियॉ। पंचायतों एवं ग्राम सभा की क्षमता व प्रभावशीलता में अभिवृद्धि तथा उनका सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 2018–19 में रिवैम्पड की गयी। **<u>योजना के मार्गनिर्देश शासनादेश दिनांक : 12 अक्तूबर, 2022 से निर्गत</u>** **<u>प्रशासनिक व्यवस्थाः</u>** ❖ **राज्य सलाहकार समिति – अध्यक्षता, मा0 मंत्री, पंचायती राज, उ0प्र0।** ❖ **राज्य संचालन समिति – अध्यक्षता, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।** ❖ **राज्य कार्यकारी समिति – अध्यक्षता, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायती राज, उ0प्र0।** ❖ **राज्य अनुश्रवण समिति – अध्यक्षता, निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।** **<u>मुख्य घटक/गतिविधियॉः</u>** • ग्राम पंचायतों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना। • क्षमता संवर्द्धन एवं प्रशिक्षण। • राज्य एवं जिला पंचायत रिसोर्स सेन्टर एवं पंचायत लर्निंग सेन्टर (पी.एल.सी.) की स्थापना। • राज्य, जनपद एवं खण्ड स्तर पर प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्द्धन हेतु मानव संसाधन की तैनाती • अधोसंरचनात्मक ढाचे अर्थात् सीमित संख्या में पंचायत भवन एवं कॉमन सर्विस सेंटर अतिरिक्त कक्ष का निर्माण। **प्रगति (आर.जी.एस.ए.) वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 में संचालित विभिन्न गतिविधियॉः** • 3,48,592 जनप्रतिनिधियों /अधिकारियों/ कार्मिकों को तकनीकी एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण का समस्त विवरण भारत सरकार के टी.एम.पी. पोर्टल पर अद्यतन। • क्षमता संवर्द्धन हेतु 26 जनपदों में जिला पंचायत रिसोर्स सेंटरों/क्षेत्रीय पंचायत रिसोर्स सेंटर का संचालन एवं राज्य स्तर पर पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना। • 75 जनपदों एंव राज्य स्तर पर परियोजना प्रबंधन इकाईयॉ। • जनप्रतिनिधियों कर्मियों हेतु सरल संदर्भ साहित्य का विकास। • ग्राम पंचायत के कार्यो हेतु पंचायत सचिवों/ए.डी.ओ. को 3145 लैपटॉप उपलब्धता।	**समिति योजना के स्वरूप एवं पूर्व वर्षों की प्रगति से संज्ञानित हुई।**

- प्रति यूनिट रू0 7.00 लाख की दर से 67 ग्राम पंचायतें पंचायत लर्निंग सेन्टर के रूप में विकसित।
- लगभग शतप्रतिशत ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेनदेन हेतु यू.पी.आई. आई.डी./क्यू.आर.कोड की स्थापना।
- 75 प्रधान/प्रमुख एवं 24 अधिकारियों हेतु राज्य के बाहर एक्सपोजर विजिट का आयोजन।
- शत–प्रतिशत ग्राम पंचायतों की वार्षिक कार्ययोजनाएं ऑनलाइन ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किए जाने में हैंडहोल्डिंग।
- 5000 से अधिक ग्राम पंचायतों का आई.एस.ओ. सर्टिफिकेशन कराने हेतु कार्य।

<u>जन सुविधा केन्द्र (सी.एस.सी.) की स्थापना : सेवा वितरण को सुदृढ़ बनाना</u>

- ✓ सभी ग्राम सचिवालयों में सीएससी की स्थापना के आदेश <u>शासनादेश दिनांक 2 अगस्त एवं 3 अक्टूबर, 2022 से निर्गत</u>
- ✓ सेवा वितरण और ग्राम पंचायत के अन्य संसाधनों के माध्यम से ओ. एस.आर. संग्रह के लिए अलग बैंक खाता की व्यवस्था।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार के ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल और भारत सरकार के सी.आर.एस. पोर्टल के माध्यम से 243 सेवाएं प्रदान किए जाने की व्यवस्था।
- ✓ डिजिटल भुगतान स्वीकृति के लिए सभी ग्राम पंचायतों में यू.पी.आई. – क्यू.आर कोड (UPI-QR Code) का उपयोग।
- ✓ ग्राम पंचायतों में सिटीजन चार्टर (समयबद्ध सर्विस डिलीवरी) लागू।
- ✓ 2718 कॉमन सर्विस सेंटर कक्ष धनराशि रू0 4.00/5.00 लाख प्रति यूनिट की दर से निर्मित।
- ✓ ग्राम सचिवालय में 51646 जन सुविधा केन्द्र की स्थापना।
- ✓ अबतक 23.12 लाख सेवाएं निर्गत।
- ✓ पंचायतों की रू0 3.45 करोड़ आय का सृजन।
- ✓ पंचायत सहायकों को रू. 1.15 करोड़ की अतिरिक्त आय।

समिति के संज्ञानार्थ ।

एजेण्डा बिन्दु–2: राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजनान्तर्गत अपर मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित "राज्य कार्यकारी समिति" की <u>सप्तम् बैठक (06 मार्च, 2024)</u> में लिये गये निर्णयों के परिपालन की स्थिति तथा अष्ठम् बैठक के एजेण्डे की पुष्टिः–

सप्तम् बैठक में समिति द्वारा दिए गए निर्देश	निर्णय के अनुपालन की स्थिति
एजेण्डा बिन्दु–3: वित्तीय वर्ष 2023–24 में योजना के क्रियान्वयन की प्रगतिः	
• समिति द्वारा फरवरी, 2024	योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में

में निर्गत एवं योजना मद में अवशेष धनराशि को शीघ्र व्यय किए जाने के निर्देश दिए।	निर्गत कुल धनराशि रू0 304.66 करोड़ के सापेक्ष धनराशि रू0 158.55 करोड का व्यय सुनिश्चित् किया गया।	
• समिति द्वारा प्रशिक्षण एवं क्षमता–संवर्द्धन की गतिविधियों में वाहय संस्थाओं– आई.आई.एम. /यूनिवर्सिटी एवं अन्य प्रशिक्षण क्षेत्र में सक्षम संस्थाओं/संस्थानों का सहयोग लेने के निर्देश दिए गए।	• क्षमता संवर्द्धन एवं प्रशिक्षण हेतु गैरवित्तीय सहायता के वाहय एजेंसी के रूप में यूनिसेफ, सी–3, एस.सी.एल., पीरामल एवं ट्रिफ आदि संस्थाएं अपना सहयोग दे रही है। • भारत सरकार द्वारा पत्र दिनांक 7 जनवरी, 2025 से निर्गत पत्रानुसार प्रदेश हेतु इम्पैनल्ड संस्थाओं का सहयोग राज्य/मंडल/जनपद/विकास खण्ड स्तरीय प्रशिक्षणों में राज्य/डी.पी.आर.सी. अथवा प्रिट के सहयोग हेतु आवश्यकतानुसार लिया जाना प्रस्तावित है।	**समिति, सप्तम् बैठक में लिए गए निर्णयों के सापेक्ष परिपालन की स्थिति से संज्ञानित हुई ।**
• समिति द्वारा आई.ई.सी. गतिविधियों पर कम व्यय के दृष्टिगत आई.ई.सी. एवं मीडिया मैनेजमेंट एजेंसियों का इम्पैनलमेंट।	• सोशल मीडिया हेतु चयनित एजेंसी द्वारा विभागीय उपलब्धियों का प्रचार–प्रसार किया जा रहा है। • आगरा में ईज–आफ लिविंग सर्विस डिलीवरी एट ग्रास रूट पर भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन • आई.ई.सी. गतिविधियों हेतु रोडवेज की बसों के माध्यम से 75 जनपदों के व्यस्तम् 05 रूट पर प्रचार किए जाने का अनुरोध परिवहन विभाग से किया गया था। उनके स्तर से वित्तीय प्रस्ताव के सापेक्ष वेंडर एवं विभागीय अधिकारिक खाते का विवरण उनके द्वारा दिया जाना आपेक्षित है।	
एजेण्डा बिन्दु–4: वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु तैयार वार्षिक कार्ययोजना पर चर्चा एवं अनुमोदन।		

• समिति द्वारा नवाचार मद में रेन गेज व आटोमेटिक वेदर स्टेशन के संचालन के लिए कृषि व राजस्व विभाग से समन्वयन स्थापित करते हुए बी.पी.आर.सी. एवं बी.पी.एम. यू. के माध्यम से संचालित किए जाने के निर्देश दिए गए।	• समिति द्वारा नवाचार मद में रेन गेज व आटोमेटिक वेदर स्टेशन के संचालन के प्रस्ताव पर केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति ने वर्ष 2024–25 में स्वीकृति प्रदान नही की गयी है। • पुनः वर्ष 2025–26 की कार्ययोजना में नवाचार मद में रेन गेज व आटोमेटिक वेदर स्टेशन के संचालन को कृषि व राजस्व विभाग से समन्वयन स्थापित करते हुए लिया जाना प्रस्तावित है।	
मा0 समिति के अवगतार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।		

एजेण्डा बिन्दु–3: वर्ष 2024–25 हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्ययोजना के क्रियान्वयन की प्रगति पर चर्चा।

- प्राविधानित बजट – रू0 373.04 करोड़
- स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना – 360.85 करोड़

क्र	विवरण	धनराशि रू0 (करोड़ में)
1	01 अप्रैल, 2024 को में योजनान्तर्गत राज्य नोडल एकाउंट में अवशेष प्रदर्शित धनराशि	146.11
2	वित्तीय वर्ष में निर्गत कुल स्वीकृति (दिनांक 08.01.2025 तक)	29.62
3	राज्य एस.एन.ए. में जनपदों से प्राप्त धनराशि	1.35
4	**लिमिट दिए जाने हेतु उपलब्ध कुल धनराशि (दिनांक 23.02.2024 तक अद्यतन) (1+2+3)**	**177.08**
5	मंडल/जनपदों/ग्राम पंचायतों को निर्गत लिमिट	135.34
6	निर्गत लिमिट के सापेक्ष व्यय	107.73
7	राज्य स्तर पर व्यय	40.45
8	**कुल व्यय मंडल/जनपदों/ग्राम पंचायतों को निर्गत लिमिट एवं अन्य व्यय सहित (6+7) (upated till 11-03-2025)**	**148.18**
9	**लिमिट/व्यय हेतु अवशेष धनराशि**	**28.90**

समिति योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से संज्ञानित हुई।

वित्तीय प्रगति

धनराशि रू0 करोड़ में

S. N.	Component	Fund Sanctioned			Amount Released/ Availability	Expenditure	Unspent Balance
		Central share (60%)	State Share (40%)	TOTAL			
1	2	3	4	5	6	7	8
i	Capacity Building Training & Activity	62.24	41.50	103.74	42.68	39.75	2.93
ii	Institutional Infrastructure	23.28	15.52	38.8	5.97	3.53	2.44
iii	Support for Panchayat	106.75	71.17	177.9	120.12	97.81	22.31

	Bhawan			2			
iv	Project Management Unit	16.91	11.28	28.19	4.98	4.98	0
v	Project Based Support for Income Development & Income Enhancement	0.00	0.00	0	0	0	0
vi	IEC	4.18	2.79	6.97	0.32	0.32	0
vii	Programme Management	3.14	2.09	5.23	3.01	1.79	1.22
	Total	**216.51**	**144.34**	**360.85**	**177.08**	**148.18**	**28.9**

भौतिक प्रगति

गतिविधिवार प्रगति

क्र0	संचालित गतिविधियाँ (अनुमोदित कार्ययोजना अनुसार)	स्वीकृत इकाईयॉ / प्रतिभागी	पूर्ण इकाईयॉ	प्रगति पर/टिप्पणियाँ
1	वार्ड सदस्यों व प्रधान सहित 06 स्थायी समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण	346962	1008610	• 21626 ग्राम पंचायतों के लिए निर्धारित प्रशिक्षण धनराशि रू0 17.32 करोड़, स्वामित्व कार्यक्रम हेतु प्रिट के माध्यम से जनपदों को स्थानांतरित की गई, जिसके सापेक्ष 09.99 लाख लाभार्थियों का आकड़ा ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल (टी.एम.पी.) पर अद्यतन कराया गया है। • वार्ड सदस्यों के प्रशिक्षण के निर्देश प्रिट को निर्गत है एवं भारत सरकार से आगामी किश्त की उपलब्धता पर उक्त प्रशिक्षण के सापेक्ष धनराशि एवं प्रशिक्षण आयोजित किया जाना सम्भावित है।
2	प्रधानों, सचिवों, लाइन	69614	25189	2 अक्टूबर एवं 15 नवंबर 24 को विशेष ग्राम सभा के माध्यम से प्रशिक्षित

	विभागों आदि के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएं /ग्राम सभा।			प्रतिभागी।	
3	प्रधान, सचिव और अधिकारियों का विषयगत (09 सतत् विकास लक्ष्य आधारित) उन्मुखीकरण	17170	85888	सहयोगी डिपार्टमेंट की कार्यशाला, विभागीय विषयगत प्रशिक्षण एसबीएम (ग्रा0) और जल जीवन मिशन के अन्तर्गत आयोजित किये गये है। इस वर्ग में प्रिट और डीपीआरसी की सहायता से कुल मिलाकर 85,888 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है	
4	जेम–ई–ग्राम स्वराज, ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल, स्वयं के अर्जित आय स्त्रोत, कार्बन न्यूट्रल आई.एस.ओ., लोकल गवर्नमेंट डायरेक्ट्री पर विशेष प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	96718	8389	जिला स्तरीय परामर्शदाताओं के साथ–साथ नवनियुक्त डीपीएम और सचिवों को ई–प्लेटफॉर्म पर बुनियादी प्रशिक्षण	
5	मानव संपदा, ई–डिस्ट्रिक्ट और कॉमन सर्विस सेंटर सहसंचालन आदि	183714	17472	• मानव संपदा पर 15859 सचिवों का प्रशिक्षण ऑनलाइन आयोजित। • आई.टी.विभाग की संस्थाओं के माध्यम सचिवों/पंचायत सहायकों के तकनीकी	

				प्रशिक्षण (सी.एस.एसी. संचालन एवं ई–डिस्ट्रिक्ट) हेतु धनराशि रू0 4.64 करोड़ की धनराशि हस्तान्तिरत।	
कुल 113278 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया और टीएमपी में विवरण अपलोड किया गया, जिनमें से धनराशि की उपलब्धता के अनुसार 59734 को आरजीएसए के तहत प्रशिक्षित किया गया।					
6	प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन (टी.एन.ए.)	1	प्रकियाधीन	जी.बी. पंत संस्थान, प्रयागराज द्वारा टी.एन.ए. अध्ययन का कार्य किया जा रहा है एवं उनके द्वारा इस सम्बंध में ड्राफ्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है, जिस पर विचारोपरान्त उनको अवशेष 50 प्रतिशत भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।	
7	प्रशिक्षण का मूल्यांकन	1	प्रकियाधीन	जी.बी. पंत संस्थान, प्रयागराज द्वारा मूल्यांकन का कार्य किया जा रहा है तथा ड्राफ्ट रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की कार्यवाही की जानी है, उनके द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट पर विचारोपरान्त उनको अवशेष 50 प्रतिशत भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।	
8	एक्सपोजर विजिट (राज्य के भीतर)	1500	2076	• राज्य कार्यशाला में 75 प्रतिभागियों ने भाग लिया। लगभग 2000 किसानों ने डिफेंस एक्सपो में आयोजित आंतरिक एक्सपोजर में भाग लिया गया है। • वित्तीय व्यय उनके द्वारा बिलवाउचर प्रस्तुत करने पर दिया जाना प्रस्तावित है।	
9	एक्सपोजर विजिट	500	425	• पंचायतों अध्यक्ष, प्रमुख एवं प्रधानों द्वारा	

	(राज्य के बाहर)			आईआईएम, दिल्ली और पुणे में राष्ट्रीय कार्यशाला में प्रतिभाग किया गया। • इसके अतिरिक्त अन्य राज्य यथा– महाराष्ट्र, तेलंगाना, त्रिपुरा राज्यों में एक्सपोजर किया जाने हेतु सम्बन्धित राज्यों के संस्थानों के माध्यम से एक्सपोजर की कार्यवाही की जा रही है।	
10	पंचायत लर्निंग सेंटर	150	95	95 इकाईयॉ पूर्ण है तथा 34 इकाइयों पर कार्य प्रकियाधीन है।	
11	अतिरिक्त प्रशिक्षक / मास्टर प्रशिक्षक	50	प्रकियाधीन	वार्ड सदस्यों एवं प्रशिक्षण तकनीक पर मॉड्यूल विकास के लिए 2 मास्टर ट्रेनरस् का सहयोग लिया जा रहा हैं एवं उनके द्वारा ड्राफ्ट मॉड्यूल प्रस्तुत किया जा चुका है।	
12	नेतृत्व / प्रबंधन विकास कार्यक्रम	1000	29	• जिला पंचायतों के अध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारियों द्वारा आईआईएम अहमदाबाद, जम्मू, बौधगया तथा अमृतसर के कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया। • आई.आई.टी. कानपुर से हैंडहोल्डिंग सपोर्ट लेने हेतु एम.ओ.यू. हस्ताक्षर किए जाने की कार्यवाही प्रकियाधीन।	
13	पंचायत भवन निर्माण	100	19	समस्त इकाईयों की लिमिट निर्गत की जा चुकी है। 19 इकाइयां पूर्ण की जा चुकी हैं एवं शेष इकाईयों पर कार्य जारी है, 31 मार्च 2025 से पहले ईकाईयॉ	

				पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।	
14	पंचायत भवन कैरी ओवर	26	26	इकाईयॉ पूर्ण	
15	कॉमन सर्विस सेंटर निर्माण	1000	846	1000 सी.एस.सी. की लिमिट के सापेक्ष 846 इकाइयां पूरी हो चुकी है एवं शेष इकाइयां 31 मार्च 2025 से पहले पूर्ण किया जाना सम्भावित है।	
16	कॉमन सर्विस सेंटर निर्माण कैरीओवर	2830	1035	• 1015 इकाइयॉ पूर्ण एवं शेष इकाईयॉ 31 मार्च 2025 से पहले पूरी हो जाएंगी।	
17	राज्य पंचायत रिसोर्स सेंटर की स्थापना	1	1	आर.जी.एस.ए. योजना से संस्थागत ढाचे के अन्तर्गत एस.पी.आर.सी. स्थापना मद से प्रिट (एस.पी.आर.सी.) एवं 01 आर.पी.आर.सी., अम्बेडकरनगर को सहयोग किया जा रहा है।	
18	जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर का निर्माण एवं स्थापना	25	25	• 25 जनपदों में जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर स्थापित है, जिसमें संचालन मद से 01 फैकल्टी एवं 01 चपरासी की सेवाएं ली जा रही है। • उक्त रिसोर्स सेंटर में भारत सरकार के स्तर से स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के अन्तर्गत रू0 27000/– (समस्त कर एवं शुल्क अतिरिक्त) की दर से अतिरिक्त फैकल्टी तथा • रू0 18000/– (समस्त कर एवं शुल्क अतिरिक्त) मानदेय की दर से कॅम्प्यूटर आपरेटर रखे	

				जाने हेतु शासन को प्रेषित् प्रस्ताव के अनुसार रिसोर्सेज रख जाना प्रस्तावित है एवं प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन।	
19	ब्लॉक पंचायत रिसोर्स सेंटर	413	0	• प्रथम चरण में प्रदेश के 413 विकास खण्डों में ब्लॉक पंचायत रिसोर्स सेंटर स्थापित किए जाने का अनुमोदन भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया है। • उक्त रिसोर्स सेंटर में वार्षिक कार्ययोजना एके अनुसार राज्य स्तर से चयनित सेवाप्रदाता संस्था के माध्यम से रू0 15,001/– प्रति माह पर फैकल्टी/ट्रेनिंग कोआर्डिनेटर तथा रू0 8,000/– प्रति माह की मानदेय दर पर कार्यालय सहायक रखा जाना प्रस्तावित है एवं इस हेतु शासन स्तर पर विचाराधीन।	
20	राज्य कार्यक्रम प्रबंधक एवं अन्य संसाधन	1	1	भारत सरकार के स्तर से स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार पी.एम.यू. में 4 मानव संसाधन की तैनाती है।	
21	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई एवं अन्य संसाधन	75	75	75 जनपदों में जिला परियोजना प्रबंधन इकाई स्थापित है, जिनमें 138 रिसोर्सेज की तैनाती है, शेष 12 रिसोर्सेज की भर्ती प्रक्रियाधीन है।	
22	ब्लॉक प्रोग्राम इकाई एवं	826	0	826 विकासखण्डों में खण्ड परियोजना प्रबंधन इकाई में	

	अन्य संसाधन			826 रिसोर्सेज की तैनाती हेतु निदेशालय स्तर चयनित आउटसोर्स संस्था के माध्यम से कार्य किया जाना प्रस्तावित है।	
23	आई0ई0सी0 (ब्रोशर/पत्र एवं ऑडियों व्जिुअल एड)	–	–	• सोशल मीडिया हेतु चयनित एजेंसी द्वारा विभागीय उपलब्धियों का प्रचार–प्रसार किया जा रहा है। • आगरा में ईज–आफ लिविंग सर्विस डिलीवरी एट ग्रास रूट पर भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। • आई.ई.सी. गतिविधियों हेतु रोडवेज की बसों के माध्यम से 75 जनपदों के व्यस्तम् 05 रूट पर प्रचार किए जाने का अनुरोध परिवहन विभाग से किया गया था। उनके स्तर से वित्तीय प्रस्ताव के सापेक्ष वेंडर एवं विभागीय अधिकारिक खाते का विवरण उनके द्वारा दिया जाना आपेक्षित है। • आई.ई.सी. अन्तर्गत धनराशि की उपलब्धता के अनुसार परिवहन विभाग की बसों के माध्यम से विभागीय योजनाओं का प्रचार–प्रसार एवं जेम/ई–टेंडर अथवा	

				पंचायत उद्योग के माध्यम से पंचायत भवनों/ सामुदायिक भवनों में जी.पी.डी.पी. एवं सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण का चित्रण/लेखन कार्य किया जाना प्रस्तावित है। • सी.–3 संस्था के सहयोग से विकसित संदर्भ साहित्य को ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत उद्योग अथवा अन्य आई.ई.सी. एजेसी के माध्यम से छपवाया जाना प्रस्तावितं।	
24	कार्यक्रम प्रबंधन (एडमिन सपोर्ट)	–	–	कार्यक्रम प्रबंधन अन्तर्गत शासन/राज्य /मंडल स्तर के व्यय हेतु प्राविधान	

मा0 समिति के अवगतार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

एजेण्डा बिन्दु–4: वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्ययोजना पर चर्चा।

योजना अन्तर्गत वर्ष 2025–26 हेतु प्राविधानित बजट धनराशि रू0 373.04 करोड़ है, जिसके सापेक्ष धनराशि रू0 377.49 करोड़ की कार्ययोजना प्रस्तावित की जा रही है।

2025–26 हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना

S. N.	Component	No. of Unit	Amount (In Lac Rs)
1	**Capacity Building Training & Activity**		
	Training Details		
	Number of Training at State level		
	General Orientation Training		
	Refresher Programme Training		
	Panchayat Development Plan Training	615	21.75
	Thematic Training	1750	446.02
	Specialized Training	450	23.75

समिति संज्ञानित हुई एवं समिति द्वारा योजनान्तर्गत वर्ष 2025–26 हेतु तैयार वार्षिक कार्ययोजना पर सहमति प्रदान की गयी एवं समिति द्वारा वर्ष 2025–26 हेतु तैयार वार्षिक कार्ययोजना एवं गत

	Any other Training		1226	30.65	वर्ष की स्वीकृत कार्ययोजना का तुलनात्मक विवरण पृथक से प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए गए।
	Number of Training at District level				
	General Orientation Training				
	Refresher Programme Training				
	Panchayat Development Plan Training				
	Thematic Training		43088	251.79	
	Specialized Training		6457	178.71	
	Any other Training				
	Number of Training at Block level				
	General Orientation Training				
	Refresher Programme Training		346146	3461.46	
	Panchayat Development Plan Training		288455	5769.10	
	Thematic Training				
	Specialized Training		195073	3901.46	
	Any other Training				
	Number of Online trainings		59	2.95	
	Sub Total		**883319**	**14086.67**	
	Training Related Activities				
	Training Needs Assessment		0	0	
	Training Module		1	10.00	
	Training Material		0	0	
	Evaluation of Training		0	0	
	Exposure Visit (within State)		1000	52.50	
	Exposure Visit(Outside State)		500	175.00	
	Hand holding for GPDP formulation		750	150.00	
	Panchayat Learning Centres		150	1050.00	
	Additional Trainers/Master Trainers		50	6.25	
	Leadership/Management Development Programme for PRIs (MDP)		500	375.50	
	Sub Total		**2951**	**1836.25**	
Total of CB&T			**886270**	**15922.92**	
2	**Institutional Infrastructure**				
	Institutional Infrastructure SPRC, DPRC & BPRC				
	New Building	DPRC Building			
	Carry Forward	DPRC Building (Carry Forward)			
	Rental Building	SPRC Rental Building			
		DPRC Rental Building			

	BPRC Rental Building	413	1486.80
	Sub Total	**413**	**1486.80**
	HR (Hiring of Resource) SPRC, DPRC & BPRC		
	SPRC		
	Recurring cost on additional faculty & operations & maintenance of SPRC	1	84.00
	DPRC		
	Recurring cost on additional faculty & operations & maintenance of DPRC	25	500.00
	Hiring of training infrastructure & equipment's at District Level (1% of the Training at District level)	26	8.25
	BPRC		
	Recurring cost on additional faculty & operations & maintenance of BPRC	413	1734.6
	Hiring of training infrastructure & equipment's at Block Level (1% of the Training at Block level)	75	131.32
	Computer Lab SPRC & DPRC (New Component)	29	460.20
	Technological Educational Support (New Component)	28	168.00
	Sub Total	**597**	**3086.37**
Total of Institutional Infrastructure		**1010**	**4573.17**
3	**Support for Panchayat Bhawan**		
	New Building		
	GP Bhawan (with focus on NE States)	0	0
	CSC Co-location (with focus on NE States)	500	2500.00
	Sub Total	**500**	**2500.00**
	Carry Forward		
	GP Bhawan	81	1176.00
	CSC Co-location	1274	6063.00
	Sub Total	**1355**	**7239.00**
Total of Support for Panchayat Bhawan		**1855**	**9739.00**
4	**Project Management Unit**		
	SPMU	4	26.20
	DPMU	150	810.00
	BPMU	1652	3964.80
Total of PMU		**1806**	**4801.00**
5	**E-enablement**		
	Computer and accessories		
	Translation of application in local language		
	# Project Name 1		
	# Project Name 2		
Total			
6	**PESA**		
	State Coordinator		

	District Coordinator		
	Block coordinator		
	Gram Sabha Mobiliser/GP		
	Gram Sabha Orientation		
	Total of PESA		
7	**Distance Learning Facility through SATCOM/IP**		
	Studio at the State level (Up to Rs.1.00 crore)		
	Satellite Interactive Terminal (SITs) (RS. 1.5 lakh per SIT)		
	Maintenance/Technical manpower in SATCOM Studio		
	Any alternative mode of technology - IP Based		
	Total for SATCOM		
8	**Innovative Activity**		
	New		
	Establishing of rain gauge in 2000 institutions at GP level @ 30000 per unit	2000	600.00
	Establishing automatic weather station in 413 institutions at block level @ 2,00,000 per unit	413	826.00
	Sub Total	**2413**	**1426.00**
	Carry Forward		
	# Project Name 1		
	# Project Name 2		
	Sub Total		
	Total of Innovative Activity	**2413**	**1426.00**
9	**Project Based Support for Income Development & Income Enhancement**		
	New		
	# Project Name 1		
	# Project Name 2		
	Sub Total		
	Carry Forward		
	# Project Name 1		
	# Project Name 2		
	Sub Total		
	Total of Projects for Income Development & Income Enhancement		
	Sub Total of CB&T		**36462.09**
10	**IEC (upto 2% of approved plan size)**		**729.24**
11	**Programme Management (upto 1.5% of approved plan size)**		**557.87**
	Grand Total		**37749.20**

मा0 समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

एजेण्डा बिन्दु–5: अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

1. राज्य सलाहकार एवं राज्य कार्यकारी समिति में विशेष आमंत्रित सदस्यों का प्रस्तावः

- मा0 मंत्री जी द्वारा दी गये आदेशानुसार मा0 मंत्री जी की अध्यक्षता में गठित राज्य सलाहकार समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में रोटेशन के अनुसार 2–2 जिला पंचायत अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत सदस्य व ग्राम प्रधान के साथ पंचायती राज के क्षेत्र में कार्यकर रहे 02 प्रतिशिष्ठित व्यक्ति को नामित किया जाना प्रस्तावित है।
- राज्य कार्यकारी समिति में 02 विशेष आमंत्री सदस्यों के रूप में यूनिसेफ एवं सहयोगी संस्था के प्रतिनिणि नामित किया जाना।

1. समिति द्वारा राज्य सलाहकार समिति हेतु नामित 02 जिला पंचायत अध्यक्षों के नामों हेतु जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक तथा 02 प्रमुख व 02 प्रधान के नाम हेतु निदेशक, पंचायती राज के स्तर से नामित किए जाने के लिए अधिकृत किया गया।

2. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजनान्तर्गत कर्मियों का मानदेयः–

- कार्यक्रम प्रबन्धक इकाई अन्तर्गत वर्तमान में कार्यरत मण्डलीय परियोजना प्रबंधक एवं जिला परियोजना प्रबंधकों की संख्या 156 (138/150 जनपद स्तर एवं 18/18 मंडल स्तर) है।
- उक्त रिसोर्सेज को वर्तमान में निम्नवत् रूप से मानदेय दिया जा रहा है:–

क्र.सं.	पदनाम	कार्यरत कर्मी की संख्या	लेवल	विभागीय अनुभव	वर्तमान मानदेय (कर एवं सर्विस चार्ज अतिरक्त से)
1	मण्डलीय / जिला परियोजना प्रबंधक	39	लेवल–1	0–02 वर्ष	रू0 25000/–
2		37	लेवल–2	02–06 वर्ष	रू0 35000/–
3		80	लेवल–3	06 वर्ष से अधिक	रू0 50000/–

- राज्य कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 17 जून, 2022 की निर्गत कार्यवृत्त दिनांक 24 जून, 2022 द्वारा समिति द्वारा प्रदान की गयी

2. समिति द्वारा मण्डलीय परियोजना प्रबंधन एवं जिला परियोजना प्रबंधन इकाई में कार्यरत रिसोर्सेज के नवीन लेवल–4 पर सहमति नही दी गयी, परन्तु संतोषजनक कार्य प्रदर्शन के अनुसार राज्य/मंडल/जन पद स्तर पर कार्यरत कर्मियों के

सहमति के दृष्टिगत दिनांक 01 फरवरी, 2023 एवं 29 अक्टूबर, 2024 को लेवल–1 एवं लेवल–2 अर्न्तगत कार्यरत मण्डलीय/जिला परियोजना प्रबंधक के लेवल में अनुभव के आधार पर मानदेय की वृद्धि की गयी है।

- चूंकि लेवल–1, 2 एवं 3 के अतिरिक्त कोई अन्य लेवल सृजित नही है जिससे लेवल–3 अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों द्वारा विभाग में **12 वर्ष से की सेवा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त भी इनके मानदेय में वृद्धि माह–अक्टूबर, 2022 के उपरान्त किया जाना संम्भव नही हो पा रहा** है।
- इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर कार्यरत तकनीकी रिसोर्सेज के लिए कोई 2022 के उपरान्त कोई वृद्धि नही हुई है।

मानदेय में वार्षिक रूप से 5 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि किए जाने की संस्तुति की गयी।

<u>प्रस्तावः</u>

- समिति से अनुरोध है उक्त लेवल में निम्नवत् प्रास्तावित संशोधन के अनुसार मानदेय दिये जाने हेतु सहमति प्रदान करने का कष्ट करें:–
- राज्य स्तरीय कर्मियों के मानदेय में 5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि संतोषजनक सेवा के आधार पर दी जानी प्रस्तावित है।

क्र.सं.	पदनाम	लेवल	विभागीय अनुभव	वर्तमान मानदेय
1	मण्डलीय/ जिला परियोजना प्रंबधक	लेवल–1	0–02 वर्ष	रू0 25000/–
2		लेवल–2	02–06 वर्ष	रू0 35000/–
3		लेवल–3	06–10 वर्ष	रू0 50000/–
4		लेवल–4	10 वर्ष से अधिक	रू0 60000/–

3. एच.आर. पालिसी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में:–

शासन द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार विभागीय योजनाओं में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों हेतु एच.आर. पालिसी निर्गत किए जाने के आदेशानुसार <u>पत्र सं0 5/शा0/61/2023– आर.जी.एस.ए./512/2016, दिनांक 10 नवम्बर, 2023</u> द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना चाहें।

4. निदेशालय द्वारा राज्य के बाहर एवं जनपद स्तर पर शासकीय कार्यों हेतु भ्रमण हेतु दरों का निर्धारण।

विभिन्न शासकीय कार्यों हेतु राज्य एवं जनपद स्तर पर कार्यरत रिसोर्सेज द्वारा किए गए भ्रमण हेतु निदेशालय स्तर से निर्गत आदेश सं0 <u>आर.जी.पी.एस.ए.: 297/ 2017–4/58/2018 दिनांक 08</u>

4. समिति द्वारा राज्य के बाहर एवं जनपद स्तर पर शासकीय कार्यों हेतु भ्रमण दरों का

अगस्त 2017 से निर्धारित दरों में संशोधन–

क्र0	प्रस्तावित राज्य के बाहर भ्रमण दरें			प्रस्तावित राज्य के अन्दर भ्रमण दरें		
	अनुमन्य यात्रा/भत्ता	रूकना/ठहरना	खाना–पीना/डी.ए.	अनुमन्य यात्रा/भत्ता	रूकना/ठहरना	खाना–पीना/डी.ए.
राज्य स्तर	वास्तविक बिल के आधार पर ए.सी. द्वितीय/प्रथम श्रेणी की रेल का किराया/बस/टैक्सी तथा रेल आरक्षण अनुपलब्धता की दशा में हवाई जहाज की इकोनॉमिक श्रेणी की यात्रा।	वास्तविक बिल के आधार पर अधिकतम 5000/– प्रति दिवस के अनुसार अनुमन्य एवं स्वघोषणा के आधार पर 1500/– प्रति दिवस अनुमन्य	वास्तविक बिल के आधार पर अधिकतम 1000/– प्रति दिवस के अनुसार एवं बिना बिल के स्व घोषणा के 500/– प्रति दिवस अनुमन्य	वास्तविक बिल के आधार पर ए.सी. द्वितीय/प्रथम श्रेणी की रेल का किराया बस/टैक्सी तथा रेल आरक्षण अनुपलब्धता की दशा में हवाई जहाज की इकोनॉमिक रेणी की यात्रा।	वास्तविक बिल के आधार पर अधिकतम 3000/– प्रति दिवस के अनुसार अनुमन्य एवं स्वघोषणा के आधार पर 1000/– प्रति दिवस अनुमन्य	वास्तविक बिल के आधार पर अधिकतम 500/– प्रति दिवस के अनुसार एवं बिना बिल के स्व घोषणा के 250/– प्रति दिवस अनुमन्य
जनपद/मंडल स्तर	वास्तविक बिल के आधार पर ए.सी.	वास्तविक बिल के आधार पर अधिकत	वास्तविक बिल के आधार पर अधिकतम 500/– प्रति दिवस	तैनाती जनपद के अतिरिक्त वास्तविक बिल के आधार पर	तैनाती जनपद के अतिरिक्त वास्तविक बिल के आधार पर	तैनाती जनपद के अतिरिक्त अधिकतम 250/– प्रति

निर्धारण निदेशक, पंचायती राज की अध्यक्षता में गठित अनुश्रवण समिति के स्तर पर लिए जाने के निर्देश दिए गए।

	तृतीय श्रेणी की रेल का किराया बस/टैक्सी तथा रेल आरक्षण अनुपलब्धता की दशा में हवाई जहाज की इकोनॉमिक रेणी की यात्रा।	म 3000/– प्रति दिवस के अनुसार अनुमन्य एवं स्वघोषणा के आधार पर 1000/– प्रति दिवस	के अनुसार एवं बिना बिल के स्व घोषणा के 250/– प्रति दिवस अनुमन्य	ए.सी.तृतीय श्रेणी की रेल का किराया/ बस/टैक्सी अनुमन्य	अधिकतम 1500/– प्रति दिवस के अनुसार अनुमन्य एवं स्वघोषणा के आधार पर 500/– प्रति दिवस अनुमन्य	दिवस के अनुसार अनुमन्य	
मा0 समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।							

अंत में अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(अनिल कुमार)
अध्यक्ष, राज्य कार्यकारी समिति/
प्रमुख सचिव,
पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन

संख्या– 331 /2024–5– RGSA/14/2018 दिनांक 03 अप्रैल 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, पंचायती राज, उ.प्र. शासन।
3. समस्त राज्य कार्यकारी समिति के सदस्यगण।

(अभय कुमार शाही)
सदस्य सचिव, राज्य कार्यकारी समिति/
उपनिदेशक (पं0),
पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।